

FORM NO-III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम-रुपनगढ, जिला-अजमेर

राजेश कुमार

बनाम

राज्य सरकार

किस्म मुकदमा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

नम्बर- 135 वर्ष-2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
08.11.2024	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील श्री अरविन्द दाधीच ने अन्तर्गत धारा-212 रा0 का0 अधि0 के तहत पेश किया। प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 20.12.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>Arvind</i> उपखण्ड अधिकारी रुपनगढ (अजमेर)</p> <p>29-11-24 वकील प्रार्थी द्वारा एकरण को विद्धो करने बाबत तलब करने के मौखिक निवेदन पर पत्रावली तलब की गयी वकील प्रार्थी ने एकरण में विद्धो करना जाहिर किया, अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र जरिये विद्धोल खारेज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार टैकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>Arvind</i> उपखण्ड अधिकारी रुपनगढ (अजमेर)</p>	<p>राजस्व प्रार्थना पत्र को विद्धो करता हूँ।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>

